जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 30-08-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

चोरी की योजना बना रहे 02 चोर 01 अदद अवैध तंमचा तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस व अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा दिनांक-30.08.2020 की रात में गस्त के दौरान नबीपुर से चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त नाम पता 1- पवन कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रामशंकर जायसवाल निवासी गणेशपुर टोला शंकर नगर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती 2- हीरालाल पुत्र रामपत कन्नौजिया निवासी महदो थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 246/2020 धारा 401 भादवि पंजीकृत किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त पवन कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रामशंकर के पास से बरामद 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस (12 बोर) तथा अभियुक्त हीरालाल पुत्र रामपत कन्नौजिया के पास से 01 अदद अवैध चाकू व 01 अदद सब्बल बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 247/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम तथा मु0अ0सं0 248/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उक्त दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान क्षेत्र में हुई दो चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है जो निम्न है –

1- मु0अ0सं0 245/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात। विदित हो कि दिनांक 20.08.2020 को वादी श्री अब्दुल हुदा निवासी पुरैना की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 50 हजार रुपये नकद व काजू, बादाम आदि चोरी कर लिया गया था जिसके उपरान्त दिनांक 28.08.2020 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराय़ा गया था।

2-मु0अ0सं0 228/20 धारा 457/380/511/427 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात। विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.08.2020 को बडौदा बैंक दानुकुइया का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की गयी थी परन्तु सायरन बजने से डरकर भाग गये थे। जिसके उपरान्त बैंक मैंनेजर वादी श्री हरिश्चन्द्र सोनकर द्वारा दिनांक 22.08.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद तंमचा व 02 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद अवैध चाकू, 01अदद सब्बल, 3280 रु0 नकद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह, उ0नि0 श्री विजय बहादुर पाण्डेय, हे0का0 अजय सिंह,का0 संजय पाल, का0 मायाशंकर यादव, का0 राजेश कुमार,

गैर इरादतन हत्या के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 226/20 धारा 304/325/323/504 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- जावेद अख्तर 2- मो0 हुसैन पुत्रगण बजहुल कमर निवासीगण कुसौना खुर्द थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा नाली के विवाद को लेकर दिनांक 16.08.2020 को वादी मो0 याकूब के साथ मारपीट व गाली गुप्ता दिया गया था जिसमें मो0 याकूब पुत्र वली मोहम्मद निवासी कुसौना खुर्द की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा स्वयं घटना के उपरान्त थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 30.08.2020 को उक्त दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

850 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र पासवान पुत्र गंगा पासवान निवासी कोनकी चमरसन थाना बखिरा को 850 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 316/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, 1150 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – बलिराम पुत्र किशोरीलाल 2 – विजय पुत्र जयराम 3- सुरेन्द्र पुत्र चन्द्रिका निवासीगण औरही थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 800 रुपये मालफड़, 350 रुपये जामातलाशी व ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 238/20 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा दो पक्षों में विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत कलान से इवेन्ट संख्या 02466 से कालर नें किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 09 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 हृदयानन्द तिवारी, आ0 फूलबदन यादव, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 227 वाहनो से 168200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 227 वाहनो से 168200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।